

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 01 सितम्बर, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए संहिता पद्धति) विनियम, 2006 की समीक्षा' विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र का पूर्ण पाठ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2. दूरसंचार सेवाओं के उपयोग की सटीक मीटरिंग तथा बिलिंग से जुड़ी शिकायतों की घटनाओं को कम से कम रखना, हमेशा से ही भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। इस संबंध में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 21 मार्च, 2006 को 'सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए संहिता पद्धति) विनियम, 2006' को अधिसूचित किया। इन विनियमों में मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए संहिता पद्धति अंतर्विष्ट है, जिसका अनुपालन प्रत्येक मूलभूत सेवा प्रदाता और सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाता को करना पड़ता है।

3. इस परामर्श पत्र का उद्देश्य, दूरसंचार विश्व के बदलते परिदृश्य में मीटरिंग तथा बिलिंग से जुड़े दिशानिर्देशों पर विचार करना है। उपभोक्ता का बल वॉयस से हटकर डाटा पर चला गया है। ऐसे प्रौद्योगिकीय समाधान आ गए हैं जो लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार, 'सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए संहिता पद्धति) विनियम, 2006 की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

4. परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से दिनांक 29 सितम्बर, 2020 तक टिप्पणियां तथा दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 तक प्रति टिप्पणियां, यदि कोई हों तो, आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियों तथा प्रति टिप्पणियों को बेहतर हो कि इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में advqos@tra.gov.in पर भेजा जाए। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री असित कादयान, सलाहकार (सेवा की गुणवत्ता), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से उनसे दूरभाष नम्बर +91-11-23230404 और फ़ैक्स नम्बर +91-11-23213036 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(एस0 के0 गुप्ता)

सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अस्वीकरण : यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।